

	राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड)भारत सरकार का उपक्रम("An ISO 9001:2008& 14001:2004Company" केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ जिला-(.राज) श्रीगंगानगर -335804 Email: csfsuratgarh.securit@gmail.com	NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED (A Govt. Of India Undertaking Miniratna Company) "AnISO9001:2008&14001:2004Company" CENTRALSTATEFARM,SURATGARH Distt:- SriGanganagar (Raj.) Email: csf.suratgarh@indiaseeds.com Phone:01509-223873
---	--	---

पत्रक्र.-सीएसएफ/सूरतगढ़/सुरक्षा-04/2024-25/

दिनांक-04-05-2024

ई-निविदा सुचना

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, केंद्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ (राजस्थान) में फार्म मुख्यालय परिसर सूरतगढ़, बाग (EPO) तथा तीनो खंडो की फसलों एवं चल-अचल सम्पत्ति की सुरक्षा ठेका का कार्य हेतु दिनांक 01-07-2024 से दिनांक 30-06-2025 तक (एक वर्ष) के लिए ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। जिसके लिए ई-निविदा दिनांक 04-05-2024 से दिनांक 17-05-2024 (11.00 am) (14 दिन) तक आमंत्रित की जाती हैं। जो उसी दिन दिनांक 17-05-2024 को 3:00 pm बजे केंद्रीय राज्य फार्म मुख्यालय सूरतगढ़ में खोली जायेगी। इच्छुक योग्य व्यक्ति/फर्म/निविदादाता आदि ई-निविदा हेतु आमंत्रित है। ई-निविदा देने से पहले Online माध्यम से Rs 1180/- निविदा फॉर्म राशि व धरोहर राशि (EMD) Rs 50000/- प्रत्येक खंड/ इकाई/ बाग (EPO)/ फार्म मुख्यालय परिसर के लिए अलग-अलग रूप से एकमुश्त जमा करवानी होगी। निविदादाता को आधार कार्ड, पैन कार्ड, की प्रति अपलोड करनी होगी। निविदा हेतु विस्तृत विवरण, निविदा प्रपत्र एवं सुरक्षा ठेका की नियम व शर्तें, निगम की बेवसाइट www.indiaseeds.com पर देखी जा सकती है।

निविदा हेतु हमारे ई-पोर्टल <http://indiaseeds.enivida.com> पर निविदादाता का पंजीकृत होना अनिवार्य है।

प्रभारी सुरक्षा अनुभाग
कृते फार्म प्रमुख

1. Bidders/Vendors/Suppliers/Contractors must get themselves registered on the portal for participating in the e-tenders published on <https://indiaseeds.enivida.com> by paying the charges of Rs. 2360/- (Inclusive taxes) per year.
2. Bidders must provide the details of PAN Number; registration details etc as applicable and submit the related documents. The user id will be activated only after submission of complete details. The activation process will take minimum 24 working hour's enividahelpdesk@gmail.com
3. Bidders must have a valid email id and mobile number.
4. Bidders are required to obtain Class 3 Digital Certificates (Signing & Encryption) as per their company details.
5. Once bidder DSC is mapped with the user id, the same DSC must not be used for another user id on the same portal. However bidder can update the digital certificate to another user id after unmapping it from the exiting user id.
6. Bidders now can login with the activated user Id & DSC for online tender submission process in this portal.
7. Bidders can upload required documents for the tender well in advance under My Documents and these documents can be attached to the tender during tender participation as per the tender requirements. This will save the bid submission duration/time period and reduce upload time of bid documents.
8. Bidders must go through the downloaded tender documents and prepare and upload bid documents as per the requirements of the department.
9. Once the bidders have selected the tenders they are interested in, Bidders will pay the processing fee Rs 550/- per tender (NOT REFUNDABLE) by net-banking / Debit / Credit card then Bidder may download the Bid documents etc. Once Bidders will pay both fee tenders status will be shown "form received". This would enable the e-tender Portal to intimate the bidders through e-mail in case there is any corrigendum issued to the tenderdocument.

10. Bidders are advised to read complete BoQ/SoQ/Price Bid/Financial Bid and Terms & Conditions before quoting rates in the bid document.
11. Any modification/replacement in BoQ/ SoQ /Price Bid/Financial bid template is not allowed. Bidders must quote only in predefined fields in the bid sheet and save the bid sheet. After saving, the same bid sheet must be uploaded in the portal.
12. Bidders must pay required payments (Tender fee, EMD, Tender Processing Fee etc) as mentioned in the tender document, before submitting the bid.
13. Bidders are recommended to use PDF files for uploading the documents. Only price bid sheet will be in Excel format.
14. The bidders must ensure to get themselves registered on the portal at least 1 week before the tender submission date and get trained on the online tender submission process. For tender submission and registration process bidders are advised to refer respective manuals on website. Tender inviting Authority/Department will not be held responsible for any sort of delay or the difficulties faced during the submission of bids online by the bidders due to local issues like internet connectivity/PC speed/etc...
15. Offline Submission of bids/documents/rates by the bidders will not be accepted by the department, under any circumstance.
16. After final submission of the bid, a confirmation message and bid submission acknowledgement will be generated by the portal. The bid submission acknowledgement contains details of all documents submitted along with bid summary, token number, date & time of submission of the bid and other relevant details. Bidder can keep print of the bid submission acknowledgement.
17. If bidder is resubmitting the bid, bidder must confirm existence of all the required documents, financial bid and again submit the bid. Once submitted, the bid will be updated.
18. Submission of the bid means that the bid is saved online; but system does not confirm correctness of the bid. Correctness of the bid will be decided by tender inviting authority only.

19. The time displayed in the server is IST(GMT 5:30) and same will be considered for all the tendering activities. Bidders must consider the server time for submission of bids.

20. Bid documents being entered by the Bidders/Vendors/Contractors will be encrypted at the client end and the software uses PKI encryption techniques to ensure security/secretcy of the data. The submitted bid documents/data become readable only after tender opening by the authorized individual.

Thank You

Technical Support - Phone: 9355030617, 8448288980

Tel: 011-49606060

Email ID - enividahelpdesk@gmail.com, enivida2021@gmail.com

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड,
केंद्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ (राजस्थान)

निविदा - प्रपत्र

निविदा विज्ञप्ति क्रमांक सी.एस.एफ./सूरतगढ़/04/सुरक्षा/2024-दिनांक निविदा भेजने हेतु

पता:-श्रीमान फार्म प्रमुख, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, केंद्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ जिला-
श्रीगंगानगर (राज.) निविदा खोलने की दिनांक:-17-05-2024 स्थान:- केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़
एक वर्ष की अवधि के लिए सुरक्षा ठेका निविदा दिनांक **दिनांक 01-07-2024 से दिनांक 30-06-2025**
तक (एक वर्ष हेतु) के लिये ठेके पर लेने हेतु निविदा प्रपत्र।

1. निविदादाता का नाम :-
2. पिता/पति का नाम :-
3. पूरा पता :-
.....
4. दूरभाष/मो0 न0:-
5. पैन न0:- (प्रतिलिपि संलग्न करें)
6. पहचान पत्र न0 (वोटर आई डी, आधार कार्ड आदि)(प्रतिलिपि संलग्न करें)
7. निविदा शुल्क रुपये रुपये (GST%18+1000)-/1180 सहित रसीद संख्या दिनांक

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम/पता:.....

.....

मो
.....

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड,
केंद्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ (राजस्थान)

निविदा राशी

प्रस्ताव (टेन्डर ऑफर)

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, केंद्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ (राजस्थान) फार्म की फसलों व अन्य चल अचल सम्पत्तियों की सुरक्षा कार्य हेतु । दिनांक 01-07-2024 से दिनांक 30-06-2025 तक (एक वर्ष हेतु) ठेके पर लेने हेतु दर निम्न विवरण अनुसार प्रस्तुत है ।

क्र. स.	फार्म के खंड व इकाई/यूनिट का नाम/	फार्म की सुरक्षा हेतु चकों का विवरण	धरोहर राशि (रूपये में) (अंको व शब्दों में)
1	खंड-एक (यूनिट-A) (Block-I (Unit-A)	35-STG, 37-STG, 38-STG, BRP-I, BRP-III	Rs. 50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र)
2	खंड-एक (यूनिट-B) (Block-I (Unit-B)	39-STG, 40-STG, 41-STG, 42-STG, 44-STG,	Rs. 50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र)
3	खंड-दो (Block-II)	RPM-1, RPM-2, RPM-3, RPM-4, 33-PBN, 31A-PBN, 31B-PBN	Rs. 50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र)
4	खंड-तीन (Block-III)	34 PBN, 3-SGM, 4-SGM, 5-SGM,	Rs. 50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र)
5	बाग (EPO)	बाग (EPO) बाग गेट सहित	Rs. 50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र)
6	फार्म मुख्यालय सूरतगढ़	मुख्यालय गेट व फार्म परिसर	Rs. 50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र)

धरोहर राशी का विवरण :-

निविदा विज्ञप्ति के अनुसार जमा किये गए /किये जाने वाली राशी का विवरण :-

ठेका	Online/ RTGS /NEFT	जारी करने वाले बैंक का नाम एवं शाखा का पता	धरोहर राशी रूपये में (अंको व शब्दों में)
1			Rs. 50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र)
2			
3			
4			
5			
6			

मैं / हम यह प्रमाणित करता है /करते हैं कि उपरोक्त निविदा की सभी शर्तें पढ़ व समझ ली है ।मुझे /हमे सभी शर्तें मान्य है शर्तों की प्रतिलिपि पर हस्ताक्षर क्र तथा सलग्न कर पूर्ण सहमति से निविदा प्रेषित है

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम/पता:.....

मो. न.

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड,
केंद्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ (राजस्थान)

५५१

तकनीकी निविदा प्रपत्र

दिनांक:-----

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, केंद्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ (राजस्थान) फार्म की फसलों व अन्य चल अचल सम्पत्तियों की सुरक्षा कार्य हेतु । दिनांक 01-07-2024 से दिनांक 30-06-2025 तक (एक वर्ष हेतु) ठेके पर देने बाबत ।

पार्टी का नाम:- मैसर्.....

क्र. स.	आवश्यक प्रपत्र का नाम	सम्बन्धित प्रपत्र का न.	पेज न.	सत्यापित प्रतिलिपि
1	अनुभव प्रमाण पत्र			
2	पैन कार्ड संख्या			
3	पार्टी का फर्म पंजीकरण			
4	MSME पंजीकरण			
5	GST NO.			
6	लेबर लाईसेंस			
7	सिक्यूरिटी लाईसेंस PSA License			
8	चरित्र प्रमाण पत्र 100 रूपयों के स्टाम्प पर			
9	EPF पंजीकरण			
10	ESI पंजीकरण			
11	इनकम टैक्स रिटर्न			

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम/पता:.....

मो. न.

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, केंद्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ (राजस्थान)

वित्तीय निविदा प्रपत्र

दिनांक:-----

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, केंद्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ (राजस्थान) फार्म की फसलों व अन्य चल अचल सम्पत्तियों की सुरक्षा कार्य हेतु । दिनांक 01-07-2024 से दिनांक 30-06-2025 तक (एक वर्ष हेतु) ठेके पर देने बाबत (वित्तीय निविदा प्रपत्र)।

प्रस्तावित राशि (रूपयें में)

क्र. स.	फार्म के खंड व इकाई/यूनिट का नाम/	फार्म की सुरक्षा हेतु चकों का विवरण	प्रस्तावित राशि/ Proposed Amount प्रति माह (per month) (रूपये में)
1	खंड-एक (यूनिट-A) (Block-I (Unit-A)	35-STG, 37-STG, 38-STG, BRP-I, BRP-III	
2	खंड-एक (यूनिट-B) (Block-I (Unit-B)	39-STG, 40-STG, 41-STG, 42-STG, 44-STG	
3	खंड-दो (Block-II)	RPM-1, RPM-2, RPM-3, RPM-4, 33- PBN, 31A-PBN, 31B-PBN	
4	खंड-तीन (Block-III)	34-PBN, 3-SGM, 4-SGM, 5-SGM	
5	बाग (EPO)	बाग (EPO) व बाग गेट सहित	
6	फार्म मुख्यालय सूरतगढ़ मुख्यालय गेट व फार्म परिसर	मुख्यालय गेट व फार्म परिसर	

नोट:-निविदादाता खण्ड-एक की यूनिट-ए व यूनिट-बी खण्ड-दो तथा खण्ड-तीन में किसी एक खण्ड हेतु ही राशि कोट कर सकता है

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम/पता:.....

मो. न.

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

केंद्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ (राजस्थान)

वर्ष-2024 (दिनांक 01-07-2024 से दिनांक 30-06-2025 तक) (एक वर्ष हेतु) में फार्म संपदा खड़ी फसल, सग्रहित फसल एवं अन्य फार्म संसाधनों (चल/अचल सम्पत्ति) की सुरक्षा ठेके के लिए सुरक्षा पोटों का विवरण ।

खंड न: एक (यूनिट - ए)

क्र.स	सुरक्षा पॉइंट	कार्य का विवरण
1	35.एस.टी.जी	सम्पूर्ण चक पर फसल एवं भौतिक सम्पत्ति की सुरक्षा
2	37.एस.टी.जी	सम्पूर्ण चक पर फसल एवं भौतिक सम्पत्ति की सुरक्षा
3	38.एस.टी.जी	सम्पूर्ण चक पर फसल एवं भौतिक सम्पत्ति की सुरक्षा
4	बी.आर.पी-1	सम्पूर्ण चक पर फसल एवं भौतिक सम्पत्ति की सुरक्षा
5	बी.आर.पी-3	सम्पूर्ण चक पर फसल एवं भौतिक सम्पत्ति की सुरक्षा

खंड न: एक (यूनिट बी)

क्र.स.	सुरक्षा पॉइंट्स	कार्य का विवरण
1	39 एस.टी.जी	सम्पूर्ण चक पर फसल एवं भौतिक सम्पत्ति की सुरक्षा
2	40 एस.टी.जी	सम्पूर्ण चक पर फसल एवं भौतिक सम्पत्ति की सुरक्षा
3	41 एस.टी.जी	सम्पूर्ण चक पर फसल एवं भौतिक सम्पत्ति की सुरक्षा
4	42 एस.टी.जी	सम्पूर्ण चक पर फसल एवं भौतिक सम्पत्ति की सुरक्षा
5	44 एस.टी.जी	सम्पूर्ण चक पर फसल एवं भौतिक सम्पत्ति की सुरक्षा

खंड न: दो

क्र.स.	सुरक्षा पॉइंट्स	कार्य का विवरण
1	आर.पी.एम-1	सम्पूर्ण चक पर फसल एवं भौतिक सम्पति की सुरक्षा
2	आर.पी.एम-2	सम्पूर्ण चक पर फसल एवं भौतिक सम्पति की सुरक्षा
3	आर.पी.एम-3	सम्पूर्ण चक पर फसल एवं भौतिक सम्पति की सुरक्षा
4	आर.पी.एम.-4	सम्पूर्ण चक पर फसल एवं भौतिक सम्पति की सुरक्षा
5	31पी.बी.एन (ए)	सम्पूर्ण चक पर फसल एवं भौतिक सम्पति की सुरक्षा
6	31पी.बी.एन (बी)	सम्पूर्ण चक पर फसल एवं भौतिक सम्पति की सुरक्षा
7	33 पी.बी.एन	सम्पूर्ण चक पर फसल एवं भौतिक सम्पति की सुरक्षा

खंड न: तीन

क.स	सुरक्षा पॉइंट्स	कार्य का विवरण
1	3 एस.जी.एम	सम्पूर्ण चक पर फसल एवं भौतिक सम्पति की सुरक्षा
2	4 एस.जी.एम	सम्पूर्ण चक पर फसल एवं भौतिक सम्पति की सुरक्षा
3	5 एस.जी.एम	सम्पूर्ण चक पर फसल एवं भौतिक सम्पति की सुरक्षा
4	34 पी.बी.एन	सम्पूर्ण चक पर फसल एवं भौतिक सम्पति की सुरक्षा

खंड न: तीन बाग (EPO)

क.स	सुरक्षा पॉइंट्स	कार्य का विवरण
1	बाग	सम्पूर्ण बाग व् गेट पर फसल/पोधे एवं भौतिक सम्पति की सुरक्षा

मुख्यालय, सूरतगढ़

क.स	सुरक्षा पॉइंट्स	कार्य का विवरण
1	मुख्यालय सूरतगढ़	मुख्य गेट व् सम्पूर्ण फार्म परिसर एवं भौतिक सम्पति की सुरक्षा

केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़
फार्म सुरक्षा की नियम व शर्तें

वर्ष-2024 (दिनांक 01-07-2024 से दिनांक 30-06-2025 तक) (एक वर्ष हेतु) में फार्म संपदा खड़ी फसल, सग्रहित फसल एवं अन्य फार्म संसाधनों (चल/अचल सम्पत्ति) की सुरक्षा ठेका।

1. फार्म संपदा, खड़ी फसल, सग्रहित फसल, पेड़, चल-अचल सम्पत्ति एवं अन्य फार्म संसाधनों को पशु/पशुधन एवं अन्य से होने वाले नुकसान को रोकने हेतु "जो जहाँ है, जैसे है के आधार पर" चौबीस घण्टे सातों दिन सुरक्षा हेतु निविदादाताओं से निविदा आमंत्रित की जाती है अनुबंध/ करार की अवधि (01-07-2024 से 30-06-2025 तक) एक वर्ष/ साल होगी।
2. निविदाता निविदा के नियम एवं शर्तों की प्रति निविदा शुल्क (GST सहित/taxes as applicable) रुपये 1180/—(1000+18%GST) का भुगतान कर फार्म के सुरक्षा विभाग से किसी कार्य दिवस के दिन दिनांक 04-05-2024 से 17-05-2024 तक प्राप्त कर सकते हैं। निविदा फार्म निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com से भी डाउनलोड किये सकते हैं निविदा फार्म के साथ निविदा फार्म शुल्क के रूप में रुपये 1180/— जमा करवाने होंगे।
3. निविदाता भरी निविदा दिनांक 17-05-2024 को सुबह 11 बजे तक Online जमा कर सकते हैं। जो दिनांक 17-05-2024 को दोपहर 3:00 pm बजे खोली जायेगी। तकनीकी बीड और वित्तीय बीड अलग-अलग लिफाफे में निविदा प्रपत्र के साथ जमा करानी होगी। तकनीकी बीड तकनीकी रूप से वैध पाई गई निविदाताओं की वित्तीय बीड सक्षम अधिकारी की स्वीकृति उपरान्त उत्तोत्तर खोला जायेगा। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
4. निविदाता पार्टियों के पास सरकारी/अर्धसरकारी/सरकारी उपक्रम/स्वायत संस्था में संतोषजनक सुरक्षा कार्य हेतु मानव संसाधन उपलब्ध कराने का कम से तीन वर्ष का अनुभव अनिवार्य है। इस बाबत पार्टियों को संबंधित संस्था द्वारा संतोषजनक कार्य पूर्ण करने संबंधी जारी प्रमाण पत्र लगाना आवश्यक है।
5. पार्टियों को तकनीकी निविदा के साथ इनकम टैक्स रिटर्न, फर्म पंजीकरण, सर्विस टैक्स संख्या, जीएसटी संख्या, ईपीएफ पंजीकरण संख्या, ई.एस.आई. पंजीकरण संख्या(यदि लागू हो तो) पैन कार्ड संख्या, चरित्र प्रमाण पत्र, लेबर लाईसेंस एवं PSA License की प्रति, वार्षिक टर्न ओवर 50 लाख हेतु Blance Sheet की प्रति वित्तीय वर्ष 2021-22, व वर्ष 2022-23 के लिए लगाना आवश्यक है। साथ ही पार्टी को एक शपथ पत्र सौ रुपये के स्टाम्प पेपर पर देना होगा कि उनकी फर्म को किसी भी सरकारी/गैर सरकारी संस्था द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है। पार्टी को लेबर विभाग से फर्म का पंजीकरण कराये जाने/कराने की प्रति एवं PSA License की प्रति निविदा के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

6. निविदा के नियम व शर्तों की स्वीकारोक्ति हेतु पार्टी को नियम व शर्तों के प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है तथा उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि तकनीकी निविदा के साथ जमा किए गए दस्तावेज उनके द्वारा स्व-सत्यापित है। इस निविदा में MSME पंजीकृत फार्मों को प्राथमिकता दी जाएगी।
7. निविदादाता द्वारा निविदा के साथ धरोहर राशि (EMD) रुपये 50,000/—(रुपये पचास हजार मात्र) खण्ड संख्या-एक की यूनिट ए के लिए, रुपये 50,000/—(रुपये पचास हजार मात्र) खण्ड संख्या-एक की यूनिट बी के लिए, रुपये 50,000/—(रुपये पचास हजार मात्र) खण्ड संख्या-2 के लिए, रुपये 50,000/—(रुपये पचास हजार मात्र) खण्ड संख्या-3 के लिए, रुपये 50,000/—(रुपये पचास हजार मात्र) बाग के लिए, और रुपये 50,000/— (रुपये पचास हजार मात्र) फार्म मुख्यालय के लिए यदि निविदादाता एक से अधिक खंड/ यूनिट/ बाग/फार्म मुख्यालय परिसर हेतु दरें भरना चाहता है तो उन सभी खंड/ यूनिट/ बाग/ फार्म मुख्यालय परिसर के लिए धरोहर राशि एकमुश्त कुल राशि व निविदा फॉर्म राशि, निविदा से पूर्व जमा करवानी होगी यदि कोई निविदादाता भरे हुए खंड/ यूनिट/ बाग/फार्म मुख्यालय परिसर की कुल धरोहर राशि जमा नहीं करवाता है तो उसकी निविदा निरस्त कर दी जायेगी। धरोहर राशि व निविदा फॉर्म राशि के बिना कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
8. निविदादाता खण्ड एक या खण्ड दो व तीन में किसी एक खण्ड हेतु ही राशि कोट कर सकता है खण्ड एक यूनिट-ए, खण्ड एक यूनिट-बी व खण्ड दो और तीन पर अलग-अलग सुरक्षा सुपरवाइजर नियुक्त करना होगा एवं सम्बन्धित सुरक्षा सुपरवाइजर का पुलिस वेरिफिकेशन प्रस्तुत करना होगा सुरक्षा सुपरवाइजर का कार्य संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में फार्म प्रबन्धन की अनुसंधान पर सम्बन्धित को हटाकर अन्य को नियुक्त करना होगा। चौकीदार की नाम बद्ध सूची मय मौबाईल न0 फार्म प्रबन्धन को उपलब्ध करना होगा।
9. सफल निविदादाता को खण्ड-एक की यूनिट/इकाई-ए की सुरक्षा ठेके के लिए प्रतिभूति राशि/सुरक्षा राशि (SD) रुपये 2,50,000/—(दो लाख पचास हजार रुपये मात्र), खण्ड एक की यूनिट/इकाई-बी की सुरक्षा ठेके के लिए प्रतिभूति राशि/सुरक्षा राशि (SD) रुपये 2,50,000/—(दो लाख पचास हजार रुपये मात्र), खण्ड-दो की सुरक्षा ठेके के लिए प्रतिभूति राशि/सुरक्षा राशि (SD) रुपये 2,50,000/—(दो लाख पचास हजार रुपये मात्र), खण्ड-तीन की सुरक्षा ठेके के लिए प्रतिभूति राशि/सुरक्षा राशि (SD) रुपये 2,50,000/—(दो लाख पचास हजार रुपये मात्र), बाग के लिए रुपये 1,00,000/—(एक लाख रुपये मात्र) और फार्म मुख्यालय के लिए 1,00,000/—(एक लाख रुपये मात्र) प्रतिभूति राशि/सुरक्षा राशि (SD) टेन्डर स्वीकृती पत्र जारी होने के बाद एक सप्ताह के अन्दर जमा करना होगा। सफल निविदादाता द्वारा निविदा के साथ जमा कराई गई धरोहर राशि (EMD) प्रतिभूति राशि/सुरक्षा राशि (SD) में समायोजित कर दी जायेगी जो संतोषजनक रूप से ठेके की अवधि समाप्त होने पर ब्याज मुक्त रूप से पार्टी को वापस की जायेगी।

10. धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। असफल निविदादाता को उनके द्वारा जमा की गई धरोहर राशि निश्चित अवधि के अन्दर उनके लिखित अनुरोध पर उत्तरोत्तर वापस की जायेगी।
11. ठेकेदार एवं उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति पर्यावरण, जलीय थलीय जीव जन्तुओं, जंगली जानवरों, मोर, तीतर आदि पक्षियों को पूर्ण संरक्षण प्रदान करेंगे, उनको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचायेंगे और नहीं पहुँचाने देंगे।
12. ठेकेदार किसी भी प्रकार के फार्म उत्पादन जैसे पेड़ पौधे, लकड़ी दवा रासायनिक खाद, डीजल, फार्म की मिट्टी आदि बिना गेट पास व पर्याप्त कागजात के बाहर नहीं ले जाने देगा और न खुद ले जायेगा। ठेकेदार फार्म के संसाधनों को नुकसान से बचाने हेतु सख्त/सुदृढ़ व्यवस्था रखेगा। ऐसे किसी भी शिकायत के प्रमाणित होने पर, ठेकेदार उक्त हानि के लिए फार्म को क्षतिपूर्ति करेगा।
13. यदि ठेकेदार आवंटित फार्म के क्षेत्र में संदिग्ध अपराधिक व्यक्तियों, वाहनों के प्रवेश को पूर्ण प्रतिबन्धित करेगा फिर भी यदि आवंटित क्षेत्र में किसी प्रकार की अवांछनीय घटना घटित होती है तो इसके लिए ठेकेदार पूर्ण उत्तरदायी होगा।
14. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि पशुधन द्वारा अवैध जबरदस्ती नाली पानी को न तोड़ना/बंधे को नुकसान से बचाना व अवैध चराई और चोरी रोकना एवं अन्य से फसल/फार्म संपदा को कोई नुकसान न हो।
15. ठेकेदार को फसल व फार्म संपदा को बचाने हेतु फार्म द्वारा निर्दिष्ट खण्ड न0-एक के यूनिट-ए में पाँच पॉइन्ट, खण्ड न0-एक के यूनिट-बी में पाँच पॉइन्ट, खण्ड न0-दो में सात पॉइन्ट, खण्ड न0-तीन में चार पॉइन्ट, बाग (EPO) में एक पॉइन्ट फार्म मुख्यालय में एक पॉइन्ट, पर चौकीदार के माध्यम से पूर्ण सुरक्षा करवानी होगी। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि जहाँ भी उसके चौकीदार तैनात है वहा दुसरा चौकीदार आने के बाद ही पहला चौकीदार चक/सुरक्षा पॉइन्ट से जायेगा। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा लगाए गए चौकीदार पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करेंगे तथा वे फार्म अधिकारी अथवा कर्मचारी के साथ किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं करेंगे अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी।
16. फार्म प्रशासन द्वारा इंगित किये गये विभिन्न चकों/पॉइन्टों/संवेदनशील पॉइन्टों की सुरक्षा निरन्तर ठेकेदार द्वारा सुनिश्चित की जायेगी साथ ही ठेकेदार यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा लगाये गये चौकीदार पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करेंगे तथा वे फार्म अधिकारी अथवा कर्मचारी के साथ किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं करेंगे अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी। चोरी डकैती व अन्य अपराधिक घटना ड्यूटी स्थल की सीमा में होने पर पुलिस को तुरन्त बुलाना व FIR दर्ज कराने जैसी आवश्यक कार्यवाही भी करनी होगी।
17. ठेकेदार किसी भी फार्म कर्मचारी का रिश्तेदार या सम्बन्धी नहीं होना चाहिए। ठेकेदार द्वारा लगाए गए चौकीदार किसी भी फार्म अधिकारी/ कर्मचारी व कार्य कर रहे अन्य ठेकेदार से किसी भी प्रकार का विवाद/झगडा इत्यादि नहीं करेंगे। कोई विवाद होने पर इसकी रिपोर्ट सुरक्षा अधिकारी/फार्म प्रबंधन को देंगे। चौकीदार उपलब्ध कराने का ठेका उसी पार्टी को दिया जायेगा जिसका चाल-चलन सही हो तथा वे निगम की काली सूची में न

हो। ब्लैक लिस्टेड व्यक्ति से संबंधित पार्टी को ठेका नहीं दिया जायेगा, जैसे उनकी पत्नी/पुत्र व अन्य नजदीकी रिश्तेदार इत्यादि।

18. कार्य आदेश जारी होने के पश्चात ठेकेदार/प्रतिनिधि स्वयं भी फार्म से संबंधित खण्ड/इकाई में उपस्थित रहेगा। ठेकेदार किसी भी दशा में ठेके के किसी भी व्यक्ति अथवा फर्म को किराये पर नहीं देगा। ठेकेदार प्रतिदिन फार्म प्रबंधन/सुरक्षा अधिकारी से मिलकर उन्हें फार्म की फसलों तथा फार्म सम्पदा को बचाने हेतु लगाए गए चौकीदार की व्यवस्था से अवगत करायेगा तथा इस बाबत प्रबंधन द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करेगा। निर्देशों की अवेहलना की स्थिति में फार्म प्रबंधन उनका ठेका रद्द करने के साथ-साथ उनके द्वारा जमा की गई धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि भी जब्त की जा सकती है।
19. निविदादाता फार्म की समस्त चल-अचल सम्पत्ति व फसलों की सुरक्षा के लिए पॉइन्टवाइज चौकीदारों के माध्यम से सम्पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करवानी होगी। फार्म कर्मचारियों द्वारा निरीक्षण दौरान इंगित पॉइन्ट पर तैनात चौकीदार अनुपस्थित पाया जाता है तो रूपये पाँच सौ की कटौती सुरक्षा ठेकेदार के बिल से की जायेगी।
20. ठेकेदार से प्राप्त सवयंवस्थित बिल का भुगतान समाप्त हुए माह के लिए क्रमशः अगले महीने में चेक द्वारा किया जायेगा। ठेकेदार यह भी सुनिश्चित करेगा कि उसने लगाये गये चौकीदार से संबंधित ई.पी.एफ, ई.एस.आई. व सेवा कर इत्यादि का भुगतान कर दिया है तथा उन्हें इस बाबत दस्तावेज लगाने होंगे। किसी भी प्रकार का टैक्स जो नियमान्तर्गत देय होगा ठेकेदार के मासिक बिल से काटा जायेगा। ठेकेदार को पैन कार्ड की एक छायाप्रति लेखा शाखा को भी देनी होगी। भुगतान सुरक्षा अधिकारी व हैड गार्ड के संतोषजनक प्रमाणन के बाद लेखा विभाग द्वारा किया जाएगा। वर्तमान में लागू GST जो भी नियमानुसार बनेगा वह बिल से काटा जायेगा।
21. ठेकेदार को सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 सहित सभी श्रम कानूनों का पालन करना होगा। स्वयं उसकी व उसके द्वारा नियोजित किसी भी चौकीदार की दुर्घटना की स्थिति में ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा तथा इस संबंध में फार्म प्रबंधन की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी।
22. ठेकेदार को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व रु. 500/- (रूपये पाँच सौ मात्र) के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर उपरोक्त शर्तों को शामिल करते हुए केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ से लिखित अनुबंध करना होगा। नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी तथा इस मद में आने वाला खर्च ठेकेदार को वहन करना होगा।
23. ठेकेदार फार्म में सुरक्षा बाबत साप्ताहिक रिपोर्ट सुरक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
24. ठेकेदार जो चौकीदार रखेगा उनको नियमित रूप से भुगतान करेगा तथा उनकी मासिक रिपोर्ट सुरक्षा अधिकारी को देगा।
25. यदि ठेकेदार का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है या उसके द्वारा करार के नियम एवं शर्तों की अनुपालना नहीं की जाती है तो फार्म प्रबंधन 15 दिन का नोटिस देकर उसका ठेका रद्द कर सकता है तथा वर्तमान ठेका किसी अन्य पार्टी को आवंटित किया जा सकता है। फार्म प्रबंधन ठेका रद्द करने के साथ-साथ ठेकेदार द्वारा जमा की गई धरोहर/प्रतिभूति राशि को जब्त भी कर सकता है। ठेकेदार को फार्म प्रबंधन द्वारा फार्म

- सम्पदा, फसलों की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार कार्य करना होगा।
26. ठेकेदार का कार्य संतोषप्रद/अच्छा पाये जाने की अवस्था में फार्म प्रबंधन आवश्यकतानुसार ठेके की अवधि को वार्षिक आधार पर बढ़ा सकता है। जिसकी नियम व शर्तें पूर्ववर्ती करार के अनुरूप होगी।
 27. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि फसल कटाई के पश्चात कोई पशु फार्म क्षेत्र में बिना चराई परमिट के न आए तथा अवांछित चराई न हो अन्यथा उसके नुकसान की भरपाई ठेकेदार से की जायेगी।
 28. ठेकेदार को संबंधित चक की चल-अचल सम्पत्ति जैसे खड़े पेड़ों एवं अन्य फार्म सम्पत्ति "जो जहाँ हो" के अनुसार रात्रि व दिन में उनकी सुरक्षा हेतु चौकीदार को लगाना होगा। 24 घण्टे सुरक्षा की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी सुरक्षा कार्य में चौकीदार को कार्य पर लगायेगा।
 29. ठेकेदार चौकीदार को सिटी, लाठी, टॉर्च एवं जरूरी संसाधन जो फार्म संसाधनों एवं सम्पदा को नुकसान से बचाने के लिए जरूरी होगा, उपलब्ध करायेगा। ठेकेदार द्वारा लगाए गए अपने कर्मियों की पहचान पत्र देगा जो कि कर्मियों के ड्यूटी के दौरान दृष्टीय रूप से लगाना होगा।
 30. ठेकेदार फार्म पर किसी भी अवांछित/अपराधि चौकीदार को कार्य पर नहीं लगायेगा, जिससे कि फार्म का अहित हो या उसने अहित किया हो उसे सरकार द्वारा प्रतिबंधित घोषित किया गया हो या वह चौकीदार फार्म अधिकारी/कर्मचारी से द्वेष रखता हो।
 31. फार्म सम्पदा, फसल एवं इसकी चल-अचल सम्पत्ति के नुकसान की स्थिति में उसकी भरपाई ठेकेदार के मासिक बिल/उनके द्वारा जमा किया गया अमानत राशि व प्रतिभूति राशि से की जायेगी।
 32. ठेकेदार द्वारा लगाए गए चौकीदार की उम्र कम से कम 18 वर्ष तथा अधिक से अधिक 50 वर्ष होनी चाहिए। ठेकेदार को फार्म पर लगाए गए चौकीदार की जानकारी फार्म प्रबंधन को देनी होगी।
 33. ठेकेदार फार्म पर लगाए गए चौकीदार को सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित न्यूनतम मजदूरी मासिक/साप्ताहिक आधार पर निर्धारित समय में देगा तथा फार्म इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। यदि ठेकेदार उन्हें न्यूनतम मजदूरी मासिक/साप्ताहिक देने में असफल रहता है तो फार्म प्रबंधन चौकीदार को उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए मजदूरी का भुगतान सरकार द्वारा में लागू न्यूनतम मजदूरी के आधार पर करेगा तथा इस मद में आने वाले खर्च की वसूली ठेकेदार को देय बिल/उसकी धरोहर राशि व प्रतिभूति राशि से की जायेगी।
 34. ठेकेदार इस बात के लिए भी उत्तरदायी होगा कि वह फार्म पर लगाए गए चौकीदार को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान व जिसका रिकॉर्ड रखना होगा तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की पालना के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा।
 35. किसी भी संगठन, ट्रेड यूनियन की हड़ताल या भीड़ द्वारा उत्पात की स्थिति में ठेकेदार अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली फार्म संपदा/फसलों को नुकसान से बचाने की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से ठेकेदार की होगी।

36. यदि ठेकेदार ठेका का कार्य बीच में छोड़ता है या इस करार के किसी नियम अथवा शर्तों का उल्लंघन करता है तो फार्म को इस करार को समाप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा उसकी धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।
37. यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो दोनों पक्ष इस आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय-समय पर सशोधित किये गये मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करने के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधानों के तहत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक इस मुद्दे को हल करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। कानून के न्यायालय में जाने से पहले पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जायेगी। न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा।
38. किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार निदेशक (फार्म) के पास सुरक्षित रहेगा। फार्म निदेशक के पास यह अधिकार भी सुरक्षित रहेगा कि वे बिना कोई कारण बताये ठेकेदार का ठेका उसे 15 दिनों का नोटिस देकर रद्द कर सकते हैं।
39. यदि ठेकेदार अनुबंध की किसी नियम व शर्तों का उल्लंघन करता पाया जायेगा अथवा फार्म को समूचित सुरक्षा प्रदान करने में अक्षम अथवा फार्म की फसलों, मशीनों व सम्पदा आदि की सुरक्षा करने में अक्षम पाया जाता है तो सुरक्षा अनुबंध को खत्म किया जा सकता है। तथा ठेकेदार/फार्म को सक्षम अधिकारी के विवेकाधिकार द्वारा ब्लैक-लिस्ट कर दिया जायेगा एवं जमा प्रतिभूति राशि को भी जब्त कर लिया जायेगा।
40. यदि फार्म में कोई नुकसान होता है तो फार्म निदेशक द्वारा एक कमेटी गठित की जायेगी जो नुकसान का आंकलन करेगी। ठेकेदार या उसके द्वारा नामित व्यक्ति आंकलन में शामिल होगा। यदि समय पर नहीं आता है तो कमेटी का निर्णय मानना होगा।
41. फार्म की किसी भी प्रकार की फसल, मशीन, सम्पदा आदि के नुकसान/चोरी की भरपाई का पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार होगा। यदि ठेकेदार 15 दिवस के भीतर हुए नुकसान की भरपाई नहीं करता है तो उसकी भरपाई ठेकेदार के मासिक भुगतान में से की जायेगी। इस बाबत फार्म निदेशक का निर्णय ठेकेदार पर बाधित होगा।
42. ठेकेदार निगम के विरुद्ध किसी भी भ्रष्टाचार में प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष/अपरोक्ष रूप से शामिल नहीं होगा। यदि ठेकेदार निगम विरुद्ध किसी भ्रष्टाचार गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है, तो उसके साथ हुए सुरक्षा अनुबंध को समाप्त कर दिया जायेगा तथा बचा हुआ कार्य उसके हर्जे खर्चे पर सम्पादित करवाया जायेगा।
43. सुरक्षा ठेकेदार तीनों खण्डों में बने हुये फाटक में आवारा पशु नहीं लायेंगे तथा आवारा पशुओं को सूरतगढ़ की गोशाला में भेजेंगे। इस प्रक्रिया के दौरान किसी भी पशु, नीलगाय, भेड़ बकरी इत्यादि को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचनी चाहिए। आवारा पशुओं के फार्म में प्रवेश प्रतिबंधित करने बाबत जो भी संवेदनशील पॉइन्ट जिनकी जानकारी सुरक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर दी जावेगी, पर चौकीदारों की नियुक्ति करना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। चौकीदार नियुक्त न करने की स्थिति में सुरक्षा ठेकेदार के मासिक बिल में से उचित कटौती की जायेगी।

44. सुरक्षा कार्य के लिए फार्म द्वारा किसी भी प्रकार का कोई वाहन व अन्य साधन उपलब्ध नहीं कराया जायेगा। ठेकेदार को इन सभी साधनों की व्यवस्था अपने खर्च पर स्वयं करनी होगी।
45. सुरक्षा ठेके की अवधि के दौरान किसी भी खण्ड में अगर कोई चक आउट-सोर्सिंग के लिये दिया जाता है तो उस चक की सुरक्षा आउट-सोर्सिंग वाले ही करेंगे और उस चक की सुरक्षा खर्च के रुपये प्रति चक प्रतिमाह औसत के आधार पर सुरक्षा ठेकेदार को नहीं दिया जायेंगे।
46. यह कि ठेकेदार या उसका प्रतिनिधि व श्रमिक फार्म की किसी सम्पत्ति को न तो नुकसान पहुँचायेंगे और नहीं उसका उपयोग करेंगे। किसी प्रकार से नुकसान व अनियमितता में लिप्त पाये जाने पर सुरक्षा कर्मियों के प्रति कड़ी दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए उसका नाम काली सूची में डाल दिया जायेगा और हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति ठेकेदार से की जायेगी।
47. यह कि ठेकेदार द्वारा कार्य शुरू करने के बाद वह किसी भी प्रकार की लापरवाही करता है या खण्ड प्रभारी, सुरक्षा अधिकारी के दिशा निर्देशानुसार सुरक्षा कार्य नहीं करता है मौखिक व लिखित नोटिस देने के बाद भी सुरक्षा कार्य को सही ढंग से नहीं करता है तो फार्म प्रशासन के पास यह अधिकार होगा कि वह ठेकेदार का ठेका निरस्त करते हुए ठेकेदार का नाम काली सूची में डाल कर ठेकेदार द्वारा जमा की गई धरोहर राशि जब्त कर लें।

घोषणा— मैंने फार्म में सुरक्षा ठेके की निविदा की नियम व शर्तें पढ़ ली हैं। उक्त सभी शर्तें मुझे मान्य हैं हस्ताक्षर मैंने अपनी रजामन्दी से बिना किसी दबाव के पूर्ण होशहवास में किये हैं। मेरे द्वारा सभी शर्तें स्वीकार की गई हैं तथा यह शर्तें केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ के साथ मेरे द्वारा किये गये अनुबन्ध का भाग मानी जायेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

दिनांक.....

स्थान.....